भीलर v/s सत्यनारायण

32/2022

6/11/24 ~~पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष आदि~~ उपस्थित प्रकरण आक्षेपित आदेश में दिनांक 20/11/24 ~~को पेश हो~~

Noted

20/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ने 07 R 11 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि ग्राम भोपालगढ़ पटवार हल्का भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा की आराजी 1186 रकबा 0.03 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। सिवायचक भूमि में तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा सनद क्रमांक 20 दिनांक 6/2/2013 में वादग्रस्त भूमि गै. मु. बाड़ा हेतु आंवटित की गई थी। अर्थात वादग्रस्त भूमि गै. कृषि प्रयोजनार्थ आंवटित की गई थी। गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के विरुद्ध वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का श्रवणाधिकार ~~नहीं~~ श्रीमान न्यायालय को नहीं होने से वाद काबिले खारिज है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि सिवायचक खाते में दर्ज होने से वादी का स्वामित्व नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है एवं R.T.A की धारा 188 में वाद प्रस्तुत करने के लिये वादी का खातेदार होना आवश्यक है, राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद काबिले खारिज है।

वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुये मौखिक ही बहस करने का निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर — लगातार —
भोपालगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	32/2022 दीतर v/s सत्यनारायण	
20/11/24	द्वारा वादी के पक्ष में सनद जारी की गई, मौके पर वादी का कब्जा है। वादी को बेदखल करने का प्रयास करने पर वादी द्वारा पुलिस थाना कारोई में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। वादग्रस्त भूमि की सनद वादी के पक्ष में होने से वादी का स्वामित्व सिद्ध है। अतः प्रतिवादी/प्रार्थी का आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रतिवादी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा काउण्टर बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 में माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से काबिले खारिज है। प्रतिवादी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R 11 जा. दीवानी का अध्ययन एवं मनन किया गया। उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस का मनन एवं अनुशीलन किया गया तथा सम्बन्धित पत्रावली का अनुशीलन किया गया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पर की गई बहस के मनन एवं चिंतन तथा सम्बन्धित विधि के अनुशीलन उपरान्त प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भोपालगढ़ के खसरा नं. 1186 रकबा 7.2329 हे. भूमि में से वादी को 0.03 बीघा भूमि की तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा गैर कृषि प्रयोजनार्थ (बाड़ा) हेतु सनद जारी की गई, वादग्रस्त भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ	

— लगातार —

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	32/2022 हीरा v/s सरकार राज्य	
20/11/24	आंवटित होने से राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है और वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने से वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. छीतर पिता गुलाब जी तेजी जाति तेली उम्र 63 वर्ष निवासी भौपालगढ, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण पिता स्व0 जमना लाल जी जाति अग्रवाल उम्र वयस्क निवासी भौपालगढ (गाडरमाला) तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजु पिता सत्यनारायण जी जाति अग्रवाल उम्र वयस्क निवासी भौपालगढ (गाडरमाला) तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. अशोक पिता सत्यनारायण जी जाति अग्रवाल उम्र वयस्क निवासी भौपालगढ (गाडरमाला) तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने बाबत्

प्रकरण संख्या 32/2022 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश जैन उपस्थित– इस वाद में आज तारीख 20.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादग्रस्त भूमि ग्राम भोपालगढ़ के खसरा नम्बर 1186 रकबा 7.2329 हैक्टयर भूमि में से वादी को 0.03 बीघा भूमि की तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा गैर कृषि प्रयोजनार्थ (बाड़ा) हेतु सनद जारी की गई, वादग्रस्त भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 व तृतीय अनुसूची में राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः प्रतिवादी द्वारा/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है और वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने से वाद खारिज किया जाता है।

20/11/24

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा